संख्या- 27 / 2017 / 329 / चार-2017 -15 (बजट)/12

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च , 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016 -17 में टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान के प्लाट नं0-7/27 सेक्टर-7 , गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3146 /सं0नि-6(53)/2013-14,दिनांक 09 मार्च , 2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान के प्लाट नं0-7/27 सेक्टर-7 , गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1473.70 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1721/चार-2014-15(बजट)/12 दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा रू0 16.66 लाख तथा शासनादेश संख्या-14/865/चार-2015-15(बजट)/12 दिनांक 10 मार्च 2015 द्वारा रू0 83.34 लाख एवं शासनादेश संख्या-41/912/चार-2015-15(बजट)/12 दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा रू0 66.66 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 166.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्य सरकार का 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि अर्थात रू0 522.816 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपया पॉच करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-1721/चार-2014-15(बजट)/12 दिनांक 26 सितम्बर 2014 तथा शासनादेश संख्या-14/865/चार-2015-15(बजट)/12 दिनांक 10 मार्च 2015 एवं शासनादेश संख्या-41/912/चार-2015-15(बजट)/12 दिनांक 25 मार्च 2015 में उल्लिखित शेष शर्ते/प्रतिबन्ध आदि यथावत रहेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण(के0 60/रा0 40 -के0 रा0) -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या - /2017 / 329 (1)/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ।
5- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।